अमृत वाणी

जीवन में कोई चीज इतनी हानिकारक और ख़तरनाक नहीं जितना डाँवाँडोल स्थिति में रहना।

-सुभाषचंद्र बोस,

आरक्षण पर कानूनी पेंच

सवर्णों को आरक्षण के मामले पर संसद की मुहर लगते ही यह मामला विवादों में फंस गया है। केन्द्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को आरक्षण दिये जाने के फैसले से भले ही सवर्णों की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई हो लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव से पूर्व लिये गये इस फैसले के पीछे सरकार का राजनीतिक उद्देश्य किसी से छिपा नहीं है। उसी तरह लोकसभा और राज्य सभा में अधिकतर दलों द्वारा तत्संबंधी संविधान संशोधन बिल को ध्वनिमत से पारित किये जाने के पीछे उनका भी यही उद्देश्य स्पष्ट है। ऐसे में केवल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बाद ही यह बिल पास होना तय हो गया था लेकिन संसद की मुहर लगते ही जिस तरह इस बिल पर सवाल खड़े किये जा रहे है तथा इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है उससे फिर से इस बिल के मार्ग में रोड़े उत्पन्न हो गये हैं।

अधिकतर लोगों का यही आरोप है कि सरकार इस बिल के द्वारा संविधान के बुनियादी ढांचे के साथ छेड़छाड़ कर रही है क्योंकि संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है।

जहां तक सर्वोच्च न्यायालय की मामले में फैसले का सवाल है वह तो समय आने पर ही मालुम होगा मगर याचिका कर्ताओं ने अपने विरोध के पक्ष में अदालत के जिन पूर्व निर्णय का उदाहरण दिया है उससे इस मामले में भी अदालत के सकारात्मक निर्णय की आशा बहुत कम ही है। यही नहीं इस संदर्भ में अदालत हाल में भी अपने विचार व्यक्त कर चुकी है।

दूसरा बिंदु जिस पर याचिका कर्ताओं ने सरकार की निर्णय के खिलाफ विरोध व्यक्त किया है उसे गलत भी ठहराया नहीं जा सकता। सरकार के निर्णय के अनुसार वार्षिक आठ लाख यानि मासिक 66 हजार रूपये से कम आय वाले को नौकरी एवं शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा जबकि इस आय सीमा को गरीबी का मापदंड निर्धारित करना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं लगता।

जैसा भी हो, चूंकि मामला अब अदालत पहुंच चुका है, अतः उसके फैसले की प्रतीक्षा तब तक रहेगी। देखना यही होगा कि सरकार अदालत में अपने इस निर्णय को कितने प्रभावी तरीके से रखने में सफल होती है। निश्चय ही आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों की आस भी उसी से जुड़ी है।

यहां यह भी उल्लेख योग्य है कि आरक्षण मिलने पर भी नौकरी पाने का रास्ता उतना आसान नहीं है। आगे क्या होता है यह तो समय ही बतायेगा।

सामान्य वर्ग आरक्षण भाजपा के लिये रामबाण

आज देश की हर कौम में आर्थिक रूप से कमजोर लोग है जिनकी मदद होनी ही चाहिए। आर्थिक रूप से कमजोर को आरक्षण मिलना ही चाहिएए यह सभी चाहते है। वर्तमान केन्द्र की भाजपा सरकार का सामान्य वर्गो में आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान स्वागत योग्य अवश्य है वशर्ते यह मामला चुनावी मिशन न बनकर रह जाय जिसका अंदेशा सभी को है।

फिलहाल इस मामले पर वर्तमान केन्द्र सरकार सत्र के अंतिम दौर में संविधान संशोधन विधेयक संसद पटल पर ला रही है जिसे राज्यसभा में पारित होने के उपरान्त कानूनी स्वरूप मिल सकता है। इस दिशा में राज्यसभा का सत्र एक दिन के लिये बढ़ाया भी जा चुका है। इस मसले पर केन्द्र सरकार ने कैबिनेट में फैसला तो ले लिया है जो लोकसभा में पारित भी हो जायेगा पर राज्यसभा में जहां केन्द्र सरकार के पास बिल पर अंतिम मोहर लगाने के लिये पर्याप्त बहुमत नहीं है ए विपक्ष के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी । इस मामले पर विपक्ष के रवैया का भी पता चल जायेगा जिसका चुनावी लाभ लिया जा सकताए इस बात को सभ्रा पक्ष अच्छी तरह से जानता है। इस मसले से जुड़ा यह कदम फिलहाल सवर्ण वर्ग को चुनाव में अपने पक्ष में करने में ज्यादा कारगर साबित हो सकता है जिसके विगत चुनावों में सभ्रा पक्ष के लिये प्रतिकूल प्रभाव रहे। जहां केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में एससी एसटी आयोग पर सुप्रीम कोर्ट के अहम फैसले को बदलकर नया अध्यादेश लाने का जो प्रयास किया गयाए उससे इस वर्ग में सरकार के प्रति आई दरार को पाटने का भी इस विधेयक के माध्यम से भरपूर प्रयास किया गया है। पूर्व हुये लोकसभा चुनाव में सवर्ण वर्ग के सहयोग से ही भाजपा केन्द्र तक पहुंची है और अभी हाल में हुये पांच राज्यों के हुये विधान सभा चुनाव में इस वर्ग के नराज होने से तीन राज्यों की सभ्रा से भी हाथ धोना पड़ा । इस बात को भाजपा अच्छी तरह से जानती है। इसी कारण इस वर्ग की नराजगी दूर कर इस वर्ष के दौरान होने वाले आम चुनाव में अपने पक्ष में समर्थन जुटाने की दिशा में सत्र के अंतिम क्षण उठाया गया यह कदम है जिसके सहारे भाजपा पित्र से केन्द्र में अपना वर्चस्व कायम करना चाहती है। इसी कड़ी में शीतकालीन संसद सत्र के अंतिम क्षण में केन्द्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को नौकरी एवं शिक्षा के क्षेत्र में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के लिये संविधान के 124 वें संशोधन विधेयक के तहत अनुच्छेद 15 व 16 में संशोधन किये जाने हेतु संशोधन बिल का प्रस्ताव लोकसभा पटल पर रख दिया है जिसपर जारी चर्चा के दौरान राजद को छोड़ भाजपा एवं भाजपा समर्थित दलों के सांसदों के अलावे अधिकांश राजनीतिक दलों के सांसदों ने इस तरह के बिल को वर्तमान सरकार का चुनावी शिगूफा बताते हुये अपना समर्थन तो दिया पर अपने ही प्रस्ताव से इसे उलझा भी दिया है। भविष्य में इसका क्या स्वरूप होगाए कह पाना कठिन है पर फिलहाल आम चनाव में भाजपा के लिये यह रामबाण साबित हो सकता है।

फिलहाल केन्द्र सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के गरीब तबकों के हित के लिये केन्द्र सरकार द्वारा 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का मासला सवर्ण वर्ग में हर्ष का विषय तो जरूर हो सकता है ए हो सकता है इसका चुनावी लाभ भी उसे मिल जाय पर यह पूर्व में इसी सरकार द्वारा आमजन को अपनी ओर आकर्षित करने के लिये विदेश से कालेधन की वापसी के मामले की तरह न बन जाय जो आज तक नहीं हो पाया। सन् 2014 के आम चुनाव में विदेश से कालेधन की वापसी के मुद्दे पर भाजपा भारी बहुमत लेकर केन्द्र की सभ्रा तक पहुंच गई पर आजतक विदेश से एक पाई भी कालाधन वापिस नहीं हुआ बल्कि देश की बैंकों से करोड़ों कर्ज लेकर सरकार की आखों के सामने से नीरव मोदीए माल्या जैसे आर्थिक अपराधी फ्रार है जो आज तक नहीं पकड़े गये। विदेशों के बैंक में आज भी कालाधन ऐनकेनप्रकारेण जमा हो रहा है जिसका भेद सरकार परिवर्तन के बाद ही चल पायेगा। विदेश से कालेधन की वापसी का चुनावी मुद्दा जुमलेबाजी ही बनकर रह गया। आज देश की आमजनता भाजपा सरकार से इस मामले में स्पष्टिकरण चाहती है। क्या वर्ष 2019 के आमचुनाव में भाजपा को पित्र से केन्द्र की सभ्रा तक पहुंचाने का चुनाव से पूर्व सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का मुद्दा संसद पटल पर लाने की प्रक्रिया भाजपा का कालेधन की वापसी की तरह एक नया शिगूफा तो नहीं जिसकी डोर पकड वह आमचुनाव की वैतरणी पार करने की तैयारी कर रही हो । इस तरह के सवाल आमजन मानस पटल पर अवश्य उभरते दिख रहे है।

पर केन्द्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर सामन्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के विधेयक को फिलहाल लोकसभा एवं राज्यसभा की मंजूरी मिल गई है ए जिसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही कानून का दर्जा मिल जायेगा। जिसके अभाव में आजतक इस तरह के मामले राज्यस्तर पर भी उठते रहे है पर संविधान में वर्तमान आरक्षण की सीमा पूर्ण होने के कारण सवर्ण वर्ग को आरक्षण दिये जाने का मामला मुद्दा बनकर ही रह गया ।

भले ही केन्द्र की भाजपा सरकार का आमचुनाव की दृष्टि से लाया गया यह विधेयक राजनीतिक प्रकरण हो सकता हैए जिसकी डोर पकड़ वह आम चुनाव की वैतरणी पार करने की तैयारी कर रही है। पर यह एक नितान्त जरूरी कदम है जो सराहनीय है।

डॉ. भरत मिश्र प्राची
(ये लेखक के अपने विचार है)

आईपीएल का सबसे महंगा सितारा उनादकट

गत दिनों आईपीएल के नए सीजन के लिए क्रिकेटरों की नीलामी काफी चर्चा में रही। दरअसल दुनिया की सबसे महंगी और आकर्षक टी.20 लीग के 2019 सीजन के लिए हुई नीलामी में जहां युवराज सिंह जैसे धुरंधर बल्लेबाज को मात्र एक करोड़ रुपये में खरीदा गया और देश-विदेश के कई दिग्गज क्रिकेटरों को कोई भी खरीदार नहीं मिला, वहीं युवाओं पर और खासकर अनजान क्रिकेट सितारों पर जमकर पैसा बरसा। कुल 8 फ्रैंचाइजी ने 60 क्रिकेटरों पर एक अरब रुपये से भी ज्यादा धनराशि खर्च की। मात्र 50 लाख रुपये बेस प्राइस वाले बाएं हाथ के स्टाइलिश गेंदबाज जयदेव उनादकट की तो लाटरी ही खुल गई, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 8.4 करोड़ में खरीदा और इस तरह वे आईपीएल के 12वें सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। जयदेव उनादकट को खेल प्रेमी इतना अच्छी तरह नहीं जानते हैं क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं किन्तु वे एक अच्छे गेंदबाज हैं, जिसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि महंगी से महंगी बोली लगाकर भी आईपीएल टीमें उनादकट को अपनी टीम में शामिल करना चाहती हैं। दरअसल जयदेव की आक्रामक फील्डिंग उन्हें टीम के लिए महत्वपूर्ण बनाती है।

यह पहली बार नहीं है जब उनादकट पर इतनी महंगी बोली लगी बल्कि आईपीएल के पिछले सीजन में तो राजस्थान रॉयल्स ने ही उन्हें साढ़े 11 करोड़ में खरीदा था। इतनी महंगी कीमत पर खरीदे जाने पर जयदेव पहली बार दुनिया की नजरों में आए थे क्योंकि नीलामी शुरू होने तक वह ज्यादा चर्चा में नहीं थे किन्तु पिछले सीजन में जैसे ही बोली शुरू हुई तो शुरूआत में किंग्स इलेवन पंजाब तथा चेन्नई सुपर किंग्स के बीच उन्हें खरीदने की होड़ लग गई और बाद में राजस्थान रॉयल्स भी इस होड़ में शामिल हो गई, जिसने 11.5 करोड़ की ऊंची कीमत देकर भी जयदेव उनादकट को खरीदना अपने लिए फायदे का सौदा समझा और इस प्रकार वह आईपीएल के 11वें सीजन में भी सबसे महंगे गेंदबाज रहे थे। जयदेव के संबंध में कहा जाता है कि उन्हें गेंदों को स्विंग कराने में अच्छी महारत हासिल है तथा बाएं हाथ का गेंदबाज होने का उन्हें अलग से फायदा मिलता है।

2010 में जयदेव का पहली बार न्यूजीलैंड में खेले गए अंडर.19 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में तेज गेंदबाजी की अगुवाई के लिए चयन किया गया था और उन्होंने 4 मैचों में 7 विकेट झटककर शानदार प्रदर्शन किया था। उनके इसी बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत उन्हें पहली बार आईपीएल में शामिल होने का अवसर मिला। आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स ने जयदेव को अपनी टीम का हिस्सा बनाया और इस प्रकार 2010 में जयदेव के आईपीएल कैरियर की शुरूआत हुई। उस सीजन में खेले गए कुल तीन मैचों में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेले गए मैच में बेहतरीन फील्डिंग करते हुए तीन विकेट लिए थे, जिसके लिए उन्हें ष्मैन आफद मैचष् मिला था। तब कोलकाता नाइटराइडर्स के तत्कालीन बॉलिंग कोच वसीम अकरम ने उनके प्रदर्शन से प्रभावित होकर उन्हें ष्भारत का भविष्य का गेंदबाजष् कहा था। आईपीएल के 2011 तथा 2012 सीजन में भी वह कोलकाता नाइटराइडर्स की ओर से खेले किन्तु प्रदर्शन सराहनीय नहीं रहा।

2013 सीजन में जयदेव को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने 5ण्25 लाख डॉलर में खरीद लिया और उस सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने 4 ओवर में कुल 25 रन देते हुए पांच विकेट झटककर अपनी टीम को जीत दिलाई, जिसके लिए उन्हें ष्मैन आफद मैचष् मिला। यह उनके कैरियर का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। आईपीएल के 2014 सीजन में 2.80 करोड़ रुपये में दिल्ली डेयरडेविल्स ने जयदेव को खरीदा किन्तु जयदेव कोई कमाल नहीं दिखा सके।

2015 में जयदेव के प्रदर्शन में थोड़ा सुधार हुआ। आईपीएल के 2016 सीजन में जयदेव को 1.6 करोड़ की महंगी कीमत पर कोलकाता नाइटराइडर्स ने खरीद लिया। हालांकि जयदेव को सिर्फएक ही मैच खेलने को मिला और उसमें भी 3 ओवर में बगैर कोई विकेट लिए 49 रन देकर वह अपनी कोई छाप छोड़ने में विफल रहे। संभवतः इसी के चलते 2017 के सीजन में किसी बड़ी टीम ने उन पर दांव नहीं लगाया और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स ने उन्हें मात्र 30 लाख रुपये में खरीद लिया। इस सीजन में उन्होंने कुल 12 मैच खेले और एक हैट्रिक के साथ कुल 24 विकेट झटके। इस सीजन में वह आईपीएल के इतिहास में तीसरे ऐसे गेंदबाज भी बने, जिन्होंने मेडन ओवर के साथ हैट्रिक पूरी की। उनसे पहले सैमुअल बद्री और लसिथ मलिंगा ही यह कारनामा कर सके थे। इसी सीजन के एक मैच में उन्होंने 4 ओवर में 30 रन देकर 5 विकेट भी झटके, जिसे उस सीजन के सबसे बेहतर स्पेल मे स्थान मिला। 2017 सीजन के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते जयदेव उनादकट भारतीय चयनकर्ताओं तथा आईपीएल टीमों के कर्ता.धर्ताओं की नजर में आने में सफल रहे और 2018 के सीजन में उन पर 11ण्5 करोड़ की सबसे ऊंची बोली लगी।

गुजरात के पोरबंदर में 18 अक्तूबर 1991 को जन्मे जयदेव दीपक भाई उनादकट निचले क्रम में बल्लेबाजी करने वाले बाएं हाथ के गेंदबाज हैं, जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में टेस्ट, वन डे और 20.20 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वह पढ़ाई.लिखाई में जितने तेज थे, उतने ही खेलों में भी। पोरबंदर के एक स्कूल में पढ़ाई करते हुए वह अपने स्कूल में टॉप करते रहे और साथ ही पोरबंदर के ही दिलीप सिंह स्कूल ऑफक्रिकेट में डे.स्कोलर के रूप में क्रिकेट सीखते थे। उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच 16 दिसम्बर 2010 को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था। उस समय जहीर खान के चोटग्रस्त होने के चलते जयदेव को टीम में शामिल किया गया था किन्तु वह एक भी विकेट लेने में सफल नहीं हुए थे। पूरे मैच में जयदेव ने 26 ओवर गेंदबाजी की लेकिन 101 रन देकर भी कोई विकेट नहीं झटक सके। टीम इंडिया वह मैच एक पारी और 25 रन के बड़े अंतर से हार गई थी। पहला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच जयदेव ने 2013 में जिम्बाब्वे टीम के विरूद्ध खेला था जबकि पहला टी.20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला 18 जून 2016 को हारे स्पोर्ट्स क्लब में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था। घरेलू मैचों में वह सौराष्ट्र क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। जयदेव को डैथ ओवर्स मैच के अंतिम ओवर्स का बेहतरीन गेंदबाज माना जाता है।

योगेश कुमार गोयल
(ये लेखक के अपने विचार है)

राज-काज

तारीख पर तारीख से संत नाराज

अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर संत अपने आपको ठगा महसूस कर रहे हैं। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि कोर्ट के फैसले के बाद ही वो कुछ करेंगे। अब जबकि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई की तारीखें बढ़ती चली जा रही हैं तो संतों का सब्र भी जवाब देता जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि संत समाज काफी नाराज है और कह रहा है कि सुनवाई टालने की बजाय कोर्ट 31 जनवरी और 2 फरवरी को फैसला करे। वहीं दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी का कहना रहा है कि कोर्ट जब भी फैसला देगाए वो इंतजार करेंगे। बहरहाल अदालत किसी दबाव में आकर कोई फैसला करने के मूड में नहीं हैए इसलिए आपत्तियां और दावों को संज्ञान में लेते हुए फैसले ले रही है और कार्रवाई आगे बढ़ा रही है। जहां तक मंदिर.मस्जिद की राजनीति करने वालों का सवाल है तो वो इंतजार में हैं कि कब यह मामला आगे बढ़े और वो अपने-अपने वोटबैंक को साधने के लिए तत्पर हों।

आरक्षण बिल अब सुप्रीम कोर्ट में

सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर दस फीसद आरक्षण देने वाले बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई है। इसके साथ ही गैर सरकारी संगठन यूथ फॉर इक्वेलिटी और कौशल कांत मिश्रा ने अपनी याचिका में इस विधेयक को निरस्त करने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया है और कहा है कि एकमात्र आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कहा जा रहा है कि इस विधेयक से संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन होता है क्योंकि सिर्फसामान्य वर्ग तक ही आर्थिक आधार पर आरक्षण सीमित नहीं किया जा सकता। वैसे भी 50 फीसदी आरक्षण की सीमा तय है और उसे लांघा नहीं जाना चाहिए। गौरतलब है कि लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में भी 124वें संविधान संशोधन विधेयक को सात के मुकाबले 165 मतों से पारित किया जा चुका है।

करदाता के प्रति जवाबदेह बने सरकारी तंत्र

आज देश में सरकारी सिस्टम एक अजब गजब बीमारी से संक्रमित नजर आ रहा है। ये बीमारी एक से दूसरे दूसरे से तीसरे और इसी तरह निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। बीमारी का नाम है काम से तौबा मतलब कामकाज की संस्कृति का नितांत अभाव। आज सरकारी दफ्तर और कार्यालय कामकाज की संस्कृति से निरंतर दूर होते जा रहे हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में केन्द्रीय सरकार और राज्यों की सरकारें जनता की सेवा कर सकें इसके लिए उनके पास बड़ा सरकारी सिस्टम है।

कमान संभालने के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लोक सेवा आयेग हैं तो मध्यम ए कनिष्ठ और निचले स्तर पर केन्द्र और राज्य सरकारें सीधी और विभिन्न एजेंसियों के साथ संस्थागत रुप से भर्ती प्रक्रिया आयोजित करती हैं। इनसे चुने गए लोग सरकारी कर्मचारी बन जाते हैं। वे सरकारी कर्मचारी जो जनता के जमा किए करों से जनता के हित में सरकार के नेतृत्व में काम करते हैं।

जनता के करों से देश के सभी शासकीय कर्मचारियों को नियमित अंतराल से पांचवेए छठवें और हाल ही में सांतवे वेतनमान दिए जा चुके हैं तो कई जगह यह सांतवे वेतनमान देने की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आम जनता को उनके बदले में इन कर्मचारियों से उपेक्षापूर्ण व्यवहार को कतई जायज नहीं कहा जा सकता। देश और प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों ने खुद आकर सरकारी सिस्टम को अपनाया है तो उन्हें जनता के प्रति जवाबदेही दिखाना भी चाहिए। सिर्फ दफ्तर में आना ही जवाबदेही नहीं है। दफ्तर में काम भी होना व दिखना भी जरुरी है। वर्तमान में समाज में सरकारी सेवा आरामतलब जीवन का पर्याय बन चुकी है। देश प्रदेश के करोड़ों युवा बड़ी बड़ी डिग्रियां करने के बाबजूद सरकारी चपरासी बनने को लालायित हैं। हम आए दिन नामी अखबारों में कुछ पदो के लिए हजारों उच्च शिक्षित युवाओं को चपरासी पद के लिए आवेदन करते युवाओं की बेतहाशा भीड़ देखते हैं। ये भीड़ है तो इसकी साफ वजह है। युवा प्रायवेट क्षेत्र में कम अवसरों से भयाक्रांत हैं तो निजी क्षेत्र में बिना किसी कायदे कानून के कारण चलने वाले शोषण से भी उब चुके हैं। वे निजी क्षेत्र में उत्साह के साथ काम करने जाते हैं मगर निजी क्षेत्र में उनके अधिकारों की रक्षा को लेकर सरकार की भूमिका शून्य है। प्रायवेट क्षेत्र में काम करने वाले हजारों लोग आए दिन अपने शोषण की शिकायतें करते हैं मगर उन्हें उनके श्रम के बदले न तो उचित मेहनताना मिलता है और न ही सम्मान और सुरक्षा। सरकार के सारे श्रम कानून सिर्फ सरकारी क्षेत्र तक सीमित हैं एवं निजी क्षेत्र में श्रमिक सुरक्षा कानून और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का पालन कराने में सरकारें नाकाम रही हैं। निजी क्षेत्र में रोजगार में इसी अनिश्चितता और असुरक्षा ने आज सरकारी नौकरी को युवा वर्ग की सबसे पहली पसंद बना रखा है। सरकारी क्षेत्र का आरामतलब जीवन एक तरह की गलत संस्कृति की ओर युवाओं को आगे बढ़ने की राह दिखाता है। लंबे समय से बिना किसी व्यवस्थित पर्यवेक्षण और जिम्मेदारी प्रशासन के कारण आज सरकार कर्मचारी का अपना एक अलग तरह का अवचेतन बन गया है। पुराने सरकारी कर्मचारियों ने जिस तरह का सुस्त और लापरवाह कामकाज का राग अपनाया उससे नए कर्मचारी भी संक्रमित हो रहे हैं। सरकारी कार्यालयों में काम न करने वाले कर्मचारी काम करने वाले कर्मचारियों को हतोत्साहित करते हैं साथ ही जनता के प्रति जवाबदेही प्रशासन का हिस्सा होने से जी चुराते हैं।

आज जिन सरकारी कर्मचारियों की संख्या देश में कुल 3 फीसदी भी नहीं है वे देश के उस सिस्टम का नेतृत्व कर रहे हैं जो 97 फीसदी जनसंख्या के लिए काम करने पदों पर बिठाया गया है। ये 3 फीसदी लोग सवा अरब जनसंख्या वाले भारत देश में जनता के करों से जमा हुए कोष से तनख्वाह व वेतन पाते हैं।

ये जिस सरकार के मुलाजिम हैं असल में वो कुछ सदस्यीय मंत्रीपरिषद और उसके पीएम और सीएम तक सीमित नहीं है। सरकार असल में देश के करदाता नागरिकों ने एक सामूहिक व्यवस्था को चलाने की सरकार के नाम पर कुछ लोगों को देश और प्रदेश चलाने की जिम्मेदारी दी है। ये कुछ माननीय जनप्रतिनिधि और कार्यपालिका के सदस्य सरकारी कर्मचरियों को अपने व्यक्तिगत कोष से वेतन नहीं देते हैं। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देश प्रदेश गांव देहात शहर गली मोहल्ले कॉलोनी और हाउसिंग सोसायटी से लेकर झुग्गी बस्ती में रहने वाला करदाता भी देता है। देश में जो भी नागरिक जीवन जी रहा है। सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक और सोने के बाद से सुबह दुबारा उठने तक किसी न किसी रुप में सरकार को अलग अलग तरह के करों के रुप में अपनी कमाई का हिस्सा दे रहा है। ये कमाई का हिस्सा जो जितना कम ज्यादा कमा रहा है उतना कम ज्यादा सरकार चलाने सरकारों को दे रहा है।

ऐसे में देश के हर नागरिक का अधिकार है कि उसके कर से संचालित सरकारी सेवाएं गुणवत्तापूर्ण हो। उसका कर राष्ट्र की संपत्ति है जिसका सही उपयोग हो ये देखना सवा अरब नागरिकों के द्वारा चुनी गई सरकारों का दायित्व है। सरकारी दायित्व बिना सरकारी कर्मचारियों के पूरा होना एक छलावे के अलावा कुछ नहीं है अत जनता की खून पसीने और मेहनत की कमाई से वेतन और तनख्वाह लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को एक जिम्मेदार सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए। एक सरकारी कर्मचारी अकेला बदलाव नहीं ला सकता मगर लापरवाही और गैरजिम्मेदारी की भावना एक एक के अपनाने से ही खत्म होगी। देश के हर सरकारी कर्मचारी को अप्रत्यक्ष रुप से अपने वेतनदाता और तनख्वाहदाता के प्रति सम्मान दिखाते हुए कामकाज की संस्कृति को अपनाने बदलाव करना चाहिए क्योंकि कामकाज ही मनुष्यता है और यही सबकी जरुरत है।

विवेक कुमार पाठक
ये लेखक के अपने विचार है)